# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

## वार्षिक प्रतिवेदन (1999–2000)

### परिचय

औद्योगीकरण के सतत विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यन्त आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति – निर्देशो की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है :–

1– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण )अधिनियम,1974
2– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण )उपकर अधिनियम,1977
3– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4– पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986
5– लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991

## मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य – सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा:–

1– श्री बी0 पी0 आर्य, अध्यक्ष 12.04.99 तक

– श्रीमती आशा सिंह, अध्यक्ष 12.04.99 से 08.07.99 तक

– श्री अनिल वैश्य, अध्यक्ष 08.07.99 से

2– डॉ0 अक्षय भार्गव, सदस्य – सचिव (कार्यकारी)

3– विशेषाधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग

4– उप शासन सचिव, वित्त (व्यय –1 ) विभाग

5– आयुक्त/ निदेशक, उद्योग विभाग, या उनके प्रतिनिधि

6– निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, या उनके प्रतिनिधि

7– मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय ), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

8– महापौर, नगर निगम, जयपुर

9– महापौर, नगर निगम, जोधपुर

10– अध्यक्ष, नगर परिषद,पाली

11– अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा, या उनके प्रतिनिधि

12– अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर,

या उनके प्रतिनिधि

13— मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

14— प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम

15— श्री जी0 के0 गर्ग, जोधपुर 17.11.99 तक

16— श्री जी0 डी0 अग्रवाल, चित्रकूट (म0प्र0 ) 17.11.99 तक

17— श्री मेघराज लोहिया, जोधपुर 17.11.99 तक

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 9 स्थानों पर इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालायें भी हैं। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित हैं। राज्य मण्डल का संगठनात्मक स्वरूप परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

वर्ष 99—2000 के दौरान सम्पूर्ण मण्डल की तीन बैठकें दिनांकः 3.4.99, 27.12.99 एवं 28.3. 2000 को आयोजित की गई ।

## मण्डल की गतिविधियां

सम्मति प्रबंधन,परिसंकटमय अपशिष्टों हेतु प्राधिकार,उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियम मेंउल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियॅा हैं। वर्ष 1999—2000 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः —

## सम्मति प्रबंधन

| सम्मति की प्रकृति | 1.4.99 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | योग | वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या | 31.3. 2000 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थापना (जल अधिनियम) | 32 | 495 | 527 | 503 | 24 |
| स्थापना (वायु अधिनियम) | 26 | 579 | 605 | 592 | 13 |
| संचालन (जल अधिनियम) | 182 | 1592 | 1774 | 1551 | 223 |
| संचालन (वायु अधिनियम) | 146 | 1672 | 1818 | 1614 | 204 |

## परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन )नियम, 1989 के अन्तर्गत प्राधिकार संबंधित कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

– 1.4.99 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या 141
– वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 49
– वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या 44
– परिसंकटमय अपशिष्ट का हथालन करने वाली चिन्हित की गई कुल इकाइयॅा 332
– परिसंकटमय अपशिष्ट के निष्पादन हेतु स्वयं के परिसर मेंवर्ष के दौरान सुरक्षित निष्पादन स्थल विकसित करने

वाली इकाइयों की संख्या 12

## प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष के दौरान कुल 4622 निरीक्षण किये गये । इस दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित विभिन्न प्रकार के नमूनों का विवरण निम्नानुसार है:–

| नमूने का प्रकार | विश्लेषित नमूनों की संख्या |
|---|---|
| उच्छिष्ठ | 989 |
| उत्सर्जन | 940 |
| मृदा | 14 |
| वायु | 12523 |
| जल | 270 |

## जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है ।

इस केन्द्र में वर्ष के दौरान कुल 99 शिकायतें प्राप्त हुई । इनमें से 18 शिकायतों के संबंध में अंतिम कार्यवाही वर्ष के दौरान ही पूर्ण की गई, जबकि शेष शिकायतों में निरीक्षण, जांच इत्यादि कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर जारी थी ।

इस केन्द्र द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, मण्डल में आगन्तुकों, उद्यमियों इत्यादि को स्टिकर, पैम्फलेट्स, पोस्टर इत्यादि पर्यावरण विषयक सामग्री का वितरण किया गया तथा पर्यावरण विषयक वीडियो कैसेट्स प्रदर्शन के लिये उपलब्ध करवाये गये ।

मण्डल द्वारा अखिल भारतीय पर्यावरण पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया । चयनित पोस्टरों की सात दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जवाहर कला केन्द्र जयपुर पर किया गया ।

## सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र

1— बालोतरा में 3.36 करोड रूपये की लागत से 60 लाख लीटर क्षमता का एक सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र जनवरी 2000 से कार्यरत हुआ । इसका निर्माण बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रिसर्च फाउण्डेशन (ट्रस्ट) द्वारा करवाया गया है ।

2— जोधपुर में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र हेतु स्थापित ट्रस्ट द्वारा संयंत्र निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही अग्रिम चरणों में है।

3— जसोल में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु नीरी नागपुर द्वारा तैयार फिजिबिलिटी रिपोर्ट मण्डल द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है । संयंत्र की स्थापना संबंधी कार्य प्रगति पर है ।

4— बिठुजा में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु सर्वे एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य नीरी नागपुर द्वारा किया जा रहा है।

## जन – सुनवाई

पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.4.97 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्रस्तावित उद्योगों/ परियोजनाओं के संदर्भ में जन–सुनवाई का आयोजन किया गया :–

1— हिन्दुस्तान जिंक लि0, कपासन (चित्तौडगढ)

2— जयपुर–अजमेर हाई वे प्रोजेक्ट, अजमेर

3— एम0टेक इण्डिया लि0, भिवाडी

4— नेशनल हाई वे अथोरिटी, अजमेर–जयपुर हाई वे, जयपुर

5— रुफिट इण्डस्ट्री, जयपुर

6— जे0के0 व्हाईट सीमेंट वर्क्स, माइनिंग प्रोजेक्ट, छीतर का पार, तहसील बापतु, जिला बाडमेर

7— इण्टरनेशनल मिनरल्स (जे0 के0 व्हाईट सीमेंट वर्क्स) सेलेनाइट जिप्सम माईनिंग प्रोजेक्ट, केशरियाबेरी, तहसील बापतु, जिला बाडमेर

8— आर0 एस0 एम0 डी0 सी0 माइनिंग प्रोजेक्ट,भववास,जिला नागौर

9— राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, उदयपुर

प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना के संबंध मे मण्डल द्वारा 13 सिफारिशें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा एक सिफारिश पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई । इसके अतिरिक्त अरावली अधिसूचना 1992 के अन्तर्गत 86 आवेदन पत्रों का निष्पादन भी किया गया ।

## कानूनी कार्यवाही

वायु अधिनियम, 1981 की धारा 37 के अन्तर्गत दायर किये गये वादों का विवरण :

1. मैसर्स सिंघल बिल्डर्स, भरतपुर

जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25/ 26 का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय द्वारा धारा 43, 44 के अन्तर्गत निम्न इकाइयों को दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये:—

1. मैसर्स निर्मल मिल्स, पाली
2. मैसर्स जयंती लाल प्रेमराज, पाली
3. मैसर्स बोहरा टैक्सटाइल्स, पाली
4. मैसर्स प्रियंका टैक्सटाइल्स, पाली
5. मैसर्स पी0 के0 फैब्रिक्स, पाली
6. मैसर्स के0 के0 डाईग, पाली
7. मैसर्स मालू टैक्सटाइल्स, पाली
8. मैसर्स सोमानी प्रोसेसर्स, पाली
9. मैसर्स बोरड डाईग कंपनी, पाली
10. मैसर्स आनन्द कुमार प्रफुल्ल चंद एंड कंपनी, पाली
11. मैसर्स चोपडा इण्डस्ट्रीज, पाली
12. मैसर्स झंकार मल झूमर मल, पाली
13. मैसर्स जैन प्रिंटिंग वर्क्स, पाली
14. मैसर्सप्रभा टैक्सटाइल्स, पाली
15. मैसर्स महेन्द्रा टैक्सटाइल्स , पाली
16. मैसर्स विनोद टैक्सटाइल्स , पाली
17. मैसर्स ममता मिल्स, पाली
18. मैसर्स भवानी स्क्रीन एंड प्रिंटिंग, पाली
19. मैसर्स तृप्ति प्रिंटिंग मिल्स, पाली
20. मैसर्स सिंघवी इण्डस्ट्रीज, पाली
21. मैसर्स अरोडा टैक्सटाइल्स , पाली
22. मैसर्स कमला टैक्सटाइल्स , पाली
23. मैसर्स विमल टैक्सटाइल्स मिल्स, पाली
24. मैसर्स अरूणा प्रोसेसर्स, पाली
25. मैसर्स छीपा युसुफ गनी, पाली

मण्डल द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान 48 इकाइयों के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33 ( अ ) एवं वायु अधिनियम की धारा 31 ( अ ) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये ।

## विविध गतिविधियाँ

मण्डल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वित्तीय एवं तकनिकी सहयोग से 'ज़ोनिंग एटलस' फोर साइटिंग ऑफ इण्डस्ट्रीज (पर्यावरणीय दृष्टि से ) परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अलवर जिले का ज़ोनिंग एटलस तैयार किया गया । कोटा एवं बारां जिलों के ज़ोनिंग एटलस का कार्य जारी है। इस परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत अलवर जिले के भिवाडी क्षेत्र में इण्डस्ट्रीयल ऐस्टेट प्लानिंग का कार्य जारी है।

मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भिय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आकलन के लिये नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रिकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है।

मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिन्दा स्थानों पर परीवेशीय वायु की गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है।

राज्य मण्डल के सुदुढिकरण के लिये विश्व बैंक की सहायता से जारी एक परियोजना "इण्डस्ट्रीयल पोल्यूशन प्रिवेन्शन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं के सुदृढिकरण हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिये रूपये 1098.28 लाख की स्वीकृति प्रदान की और राज्य मण्डल को रूपये 130.89 लाख जारी किये

गये। इसी परियोजना के अन्तर्गत मण्डल को रूपये 168.17 लाख मूल्य के परीक्षण और विश्लेषण उपकरण प्राप्त हुए।

## वित्त एवं लेखे

वर्ष 1999–2000 के दौरान मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

| आय | | व्यय | |
|---|---|---|---|
| विवरण | आय (लाखरुपये) | विवरण | व्यय (लाखरुपये) |
| 1– केन्द्रीय प्र0नि0मण्डल से प्राप्त अनुदान | 17.44 | 1– वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय | 255.49 |
| 2– जल उपकर | 78.00 | 2– कार्यालय व्यय | 47.25 |
| 3– सम्मति शुल्क | 143.43 | 3– प्रयोगशाला व्यय | 0.93 |
| 4– बैंक व पी0डी0 खाते से ब्याज | 61.22 | 4– विज्ञापन एवं प्रकाशन | 4.33 |
| 5– अग्रिमों से ब्याज | 0.34 | 5– अनुसंधान एवं विकास | 7.09 |
| 6– विविध आय | 3.77 | 6– ऋण एवं अग्रिम | 11.31 |
| 7– वसूली | 4.22 | 7– पूंजीगत व्यय | 13.68 |
| 8– विश्व बैंक | 130.89 | | |
| योग | 439.31 | योग | 340.08 |

वर्ष के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल उपकर अधिनियम 1977 के अन्तर्गत 308.27 लाख रूपये एकत्रित किये एवं 336.80 लाख रूपये केन्द्रीय सरकार को भिजवाये। केन्द्र सरकार की जल उपकर पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत मण्डल को केन्द्र सरकार से 78.00 लाख रूपये का पुनर्भरण प्राप्त हुआ ।

## मण्डल का संगठनात्मक स्वरूप

(दिनांक 31.3.2000 को)